भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 912
दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर के उपचार की लागत

†912. डॉ. बायरेड्डी शबरी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश भर में कैंसर के स्तर में वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार का देश भर में जिला स्तर के कैंसर अस्पतालों की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने कैंसर की बायोप्सी प्रक्रिया और उपचार की बढ़ती लागत पर ध्यान दिया है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा कैंसर के उपचार की लागत को वहनीय स्तर तक लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं उठाने का विचार है; और
(ड़) क्या सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर कैंसर की रजिस्ट्री रखी जाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आवधिक निदान सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में कैंसर के मामलों की अनुमानित घटना निम्नानुसार है:

कैंसर के मामलों की अनुमानित घटना (2022-2024)			
वर्ष	**2022**	**2023**	**2024**
कैंसर के मामलों की अनुमानित घटनाएं (नई)	14,61,427	14,96,972	15,33,055

(ख): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और संसाधन-सीमा के अध्यधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के भाग के रूप में राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपी-एनसीडी) के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। कैंसर एनपी-एनसीडी का एक अभिन्न अंग है। यह कार्यक्रम बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य संवर्धन और कैंसर की रोकथाम के लिए जागरूकता सृजन, शीघ्र निदान, प्रबंधन और कैंसर सहित गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के उपचार के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केंद्र के उचित स्तर के लिए रेफरल पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तर पर एनसीडी क्लीनिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) स्तर पर एनसीडी तीन सामान्य कैंसरों सहित एनसीडी के लिए सेवाएं प्रदान करते हैं। कैंसर की कीमोथेरेपी हेतु सुविधाएं प्रदान करने के लिए चिन्हित जिलों में डे-केयर सेंटर स्थापित किए जाते हैं। एनपी-एनसीडी के तहत 753 जिला एनसीडी क्लीनिक, 356 जिला डे-केयर सेंटर और 6238 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक स्थापित किए गए हैं।

(ग) और (घ): कैंसर के निदान और उपचार के लिए सुलभ और किफायती स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. कैंसर सहित गैर संचारी रोगों का निदान और उपचार जिला अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे केन्द्रीय संस्थान, केन्द्र सरकार के अस्पतालों और निजी क्षेत्र के अस्पतालों सहित स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायगी प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में उपचार या तो नि:शुल्क है अथवा गरीबों और जरूरतमंदों के लिए अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त है।

ii. औषध विभाग ने सूचित किया है कि औषध विभाग के तहत राष्ट्रीय औषध मूल्य –निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए), औषधियाँ (मूल्य-निर्धारण नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ, 2013) की अनुसूची- I में निर्दिष्ट अनुसूचित दवाओं की उच्चतम कीमत निर्धारित करती है। एनपीपीए ने डीपीसीओ, 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूची-I में शामिल 131 कैंसर-रोधी अननुसूचित फार्मूलेशनों के अधिकतम मूल्य निर्धारित किए हैं। इसके अलावा, एनपीपीए ने 27 फरवरी, 2019 के आदेश का. आ. 1041 (अ) के तहत 'ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन एप्रोच' के तहत अवधारणा के पायलट प्रमाण के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित 42 कैंसररोधी अननुसूचित फॉर्मूलेशन के ट्रेड मार्जिन को सीमित कर दिया है।

iii. सभी नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों और वंचितों को किफायती कीमतों पर गुणवत्ता युक्त जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) स्कीम को समर्पित आउटलेट स्थापित करने के लिए शुरू किया गया था, जिसे प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र (पीएमबीजेके) के रूप में जाना जाता है ताकि किफायती कीमतों पर गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। 30 जून तक देश में 12,616 पीएमबीजेके खोले जा चुके हैं। पीएमबीजेपी के तहत, 2047 प्रकार की दवाओं और 300 सर्जिकल उपकरणों को इस योजना के विस्तार-क्षेत्र के तहत लाया गया है, जिनमें से 83 उत्पाद कैंसर के उपचार के लिए हैं। वर्तमान में, चयनित जन औषधि केंद्रों के माध्यम से 61 उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं।

iv. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल किफायती दवाएं और उपचार के लिए विश्वसनीय प्रत्यारोपण (अमृत) का उद्देश्य कैंसर, हृदयवाहिका संबंधी तथा अन्य रोगों के उपचार के लिए किफायती दवाएं प्रदान करना है। दिनांक 15.06.2024 तक की स्थिति के अनुसार 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैली 206 अमृत फार्मेसियां हैं, जो 5,200 से अधिक दवाओं (हृदयवाहिका संबंधी, कैंसर, मधुमेह, स्टेंट आदि सहित), प्रत्यारोपण, सर्जिकल डिस्पोजेबल और अन्य उपभोग्य सामग्रियों को बाजार दरों पर 50% तक की महत्वपूर्ण छूट पर बेच रही हैं, जो न केवल उन संस्थानों से डॉक्टरों के प्रामाणिक नुस्खे पर आधारित हैं, जहां वे स्थित हैं, बल्कि अन्य अस्पतालों में उपचार का लाभ उठाने वाले रोगियों पर भी आधारित हैं।

v. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के तहत 55 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मध्यम या विशिष्ट अस्पताल में परिचर्या के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख का बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

(ङ): आईसीएमआर के अधीन राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी) वर्ष 1982 से अस्तित्व में है और अब यह वर्ष 2011 से राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान एवं अनुसंधान केन्द्र (एनसीडीआईआर) के अधीन है। एनसीआरपी भारत में विभिन्न राज्यों में जनसंख्या और अस्पताल आधारित कैंसर रजिस्ट्रियों (पीबीसीआर और एचबीसीआर) के माध्यम से कार्य करता है। आज की स्थिति के अनुसार 38 पीबीसीआर मौजूद हैं। एनसीडीआईआर-एनसीआरपी के तहत 215 एचबीसीआर पंजीकृत किए गए हैं।

*****